

>

Title: Need to make provision for construction of roads within the village area under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत गांव के किनारे तक सड़कें बनाई जाती हैं। गांव के अंदर सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। जबकि गांव में सड़कें नहीं होने से कीचड़ एवं गन्दगी रहती है और लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। गांवों के अंदर कच्ची सड़कें होने से वाहन के चलने से कीचड़ एवं दलदल रहती है और कई वाहन फंस भी जाते हैं। रात के अंधेरे में कई वृद्ध लोग गिर जाते हैं उन्हें चोट पहुंचती है। इस योजना से गांव के अंदर रहने वाले ग्रामीण लोगों को आने-जाने एवं वाहनों को आसानी से आने-जाने के लिए गांव के अंदर इस योजना से सड़कें बनाई जाए तो गांव का विकास तो होगा साथ ही ग्रामीण लोगों को सुविधा भी मिल सकेगी।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों में परिवर्तन कर इस योजना के अंतर्गत गांव के अंदर हिस्से वाली जगहों पर सड़क निर्माण किया जाए।